न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –23/2017, 24/17, 22/17, 25/17 जिला सीकर ।

1. रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम
2. बजरंग लाल पुत्र सुरजाराम
3. मनोज कुमार पुत्र हनुमान सहाय
4. सोहनी देवी पत्नी हनुमान सहाय
5. सुनीता देवी पुत्री हनुमान सहाय

समस्त जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीता देवी पत्नी ताराचन्द पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी माधोपुरा पोस्ट श्यामपुरा पूर्वी तहसील सीकर, जिला सीकर ।
2. गीता देवी पत्नी गुलजारी लाल पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी सरकारी हास्पिटल के पास, रानोली, उप तहसील पलसाना, जिला सीकर
3. भागीरथ पुत्र सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
4. पटवारी हल्का पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
5. उप पंजीयक/ उप तहसीलदार पलसाना, जिला सीकर ।
6. तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 29.9.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 14.3.1997 ग्रम पंचायत पलसाना

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या – 24/17 जिला सीकर

1. रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम
2. बजरंग लाल पुत्र सुरजाराम
3. मनोज कुमार पुत्र हनुमान सहाय
4. सोहनी देवी पत्नी हनुमान सहाय
5. सुनीता देवी पुत्री हनुमान सहाय

समस्त जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीता देवी पत्नी ताराचन्द पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी माधोपुरा पोस्ट श्यामपुरा पूर्वी तहसील सीकर, जिला सीकर ।
2. गीता देवी पत्नी गुलजारी लाल पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी सरकारी हास्पिटल के पास, रानोली, उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
3. भागीरथ पुत्र सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
4. पटवारी हल्का पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
5. उप पंजीयक/ उप तहसीलदार पलसाना, जिला सीकर ।

6. तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 29.9.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 21.4.1997 ग्रम पंचायत पलसाना

अपील संख्या – 22 / 17 जिला सीकर ।

1. रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम
2. बजरंग लाल पुत्र सुरजाराम
3. मनोज कुमार पुत्र हनुमान सहाय
4. सोहनी देवी पत्नी हनुमान सहाय
5. सुनीता देवी पुत्री हनुमान सहाय

समस्त जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीता देवी पत्नी ताराचन्द पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी माधोपुरा पोस्ट श्यामपुरा पूर्वी तहसील सीकर, जिला सीकर ।
2. गीता देवी पत्नी गुलजारी लाल पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत निवासी सरकारी हास्पिटल के पास, रानोली, उप तहसील पलसाना, जिला सीकर
3. भागीरथ पुत्र सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
4. पटवारी हल्का पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
5. उप पंजीयक / उप तहसीलदार पलसाना, जिला सीकर ।
6. तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 28.3.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 14.3.1997 ग्रम पंचायत पलसाना

अपील संख्या – 25 / 17 जिला सीकर ।

1. रामेश्वर लाल पुत्र सुरजाराम
2. बजरंग लाल पुत्र सुरजाराम
3. मनोज कुमार पुत्र हनुमान सहाय
4. सोहनी देवी पत्नी हनुमान सहाय
5. सुनीता देवी पुत्री हनुमान सहाय

समस्त जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीता देवी पत्नी ताराचन्द पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी माधोपुरा पोस्ट श्यामपुरा पूर्वी तहसील सीकर, जिला सीकर ।
2. गीता देवी पत्नी गुलजारी लाल पुत्री सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी सरकारी हास्पिटल के पास, रानोली, उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।

3. भागीरथ पुत्र सुरजाराम, जाति कुमावत, निवासी पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
4. पटवारी हल्का पलसाना उप तहसील पलसाना, जिला सीकर ।
5. उप पंजीयक/ उप तहसीलदार पलसाना, जिला सीकर ।
6. तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 28.3.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 21.4.1997 ग्राम पंचायत पलसाना

उपस्थित –
1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विनोद शर्मा

निर्णय

दिनांक– 11.4.2018

यह चारों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.9.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 14.3.1997, नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 21.4.1997 ग्राम पंचायत पलसाना एवं तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 28.3.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 14.3.1997, नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 21.4.1997 ग्राम पंचायत पलसाना के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । चारों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन चारों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति चारों पत्रावलियों में रखी जावे । चारों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि ग्राम पलसाना, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 4290, 4291, 4293 हिस्सा 1/5, खसरा नम्बर 4292 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 787, 788, 802, 803, 3869 में से हिस्सा 1/5, खसरा नम्बर 3859, 3868, 3870, 3876, 3877, 3878, 3879, 3891 में से 1/4 हिस्से का खातेदार सुरजाराम पुत्र चोखाराम जाति कुम्हार था जिसके फौत होने पर विरासत के नामांतरकरण संख्या 100 व 104 पटवारी हल्का द्वारा मृतक सुरजाराम के उत्तराधिकारी हनुमान सहाय, रामेश्वर, भागीरथ, बजरंग लाल पुत्रगण सुरजाराम व सीता देवी, गीता देवी पुत्रियॅा सुरजाराम के नाम भरे गये जिनमें से नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 30.4.1997 को ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा सीता व गीता पुत्रियों ने शपथ पत्र पेश कर अपना हक भाईयों के हक में करना जाहिर करने से हनुमान, रामेश्वर, बजरंग व भागीरथ पि. सुरजा के हक में स्वीकार किया गया एवं नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 30.4.1997 को खाता छूट जाने से नामांतरकरण नं. 100 के अनुसार ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा स्वीकार किया गया ।

उक्त दोनों नामांतरकरणों से व्यथित होकर मृतक खातेदार सुरजाराम की पुत्रियॅा गीता व सीता द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.9.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 14.3.97 एवं नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 21.4.97 निरस्त किये जाकर प्रकरण सुरजाराम के विधिक वारिसों की

जॅाच कर अपीलान्ट्स के नाम पुनः नामांतरकरण भरवाकर तस्दीक किये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किये गये ।

प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ से तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट को मृतक सुरजाराम के प्रथम विधिक वारिस होना एवं ग्रम पंचायत पलसाना द्वारा नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 दिनांक 14.3.97 एवं 21.4.97 को विधि विरूद्ध मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2017 से पटवारी हल्का पलसाना को आदेश दिये गये कि ग्रम पलसाना की उपरोक्त वर्णितानुसार कृषि आराजियात के नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 दिनांक 14.3.97 एवं 21.4.97 पर निरस्तगी का नोट अंकित करें तथा मृतक सुरजाराम के अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 7 विधिक वारिसान के नाम पुनः पैतृिक हक हिस्से अनुसार नामांतरकरण दर्ज कर नियमानुसार फैसल करावें ।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 29.9.2016 एवं तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 28.3.2017 के खिलाफ मृतक सुरजाराम के चार पुत्रों में से दो पुत्रों रामेश्वर लाल व बजरंग लाल व तीसरे पुत्र हनुमान सहाय के पुत्र, पुत्री एवं पत्नी द्वारा यह पृथक पृथक चारों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ एवं तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 29.9.16 एवं 28.3.17 निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 पर ग्रम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा कायम रखी जाने की प्रार्थना की ।

चारों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार सुरजाराम था जिसके चार पुत्र रामेश्वर लाल, बजरंग लाल, हनुमान सहाय व भागीरथमल व दो पुत्रियॅा सीता देवी व गीता देवी है । सुरजाराम की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण के समय सभी वारिसान के सामने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 सीता व गीता पुत्रियॅा सुरजाराम ने एक शपथ पत्र पेश किया कि उन्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिये व भाईयों के ही हक में नामांतरकरण स्वीकार करने की सहमति देने पर प्रश्नगत नामांतरकरण केवल सुरजाराम के पुत्रों के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किये हैं । प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक होने के बाद भाईयों में आपसी बंटवारा हो गया था व अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । उनका कहना था कि अपीलान्ट के भाई भागीरथ के मन में बेईमानी आने से भाईयों का हिस्सा हडपने की गरज से दोनों बहिनों से प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अलग अलग अपीलें उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष प्रस्तुत करवाई ओर अपीलान्ट की फर्जी इनकारी की रिपोर्ट करवाकर व गवाह के फर्जी अंगूठा लगवाकर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर निर्णय दिनांक 29.9.16 पारित करवा लिया जबकि आदेशिका के अनुसार दिनांक 30.8.16 को अपील दर्ज की जाकर 19.9.16 की पेशी दी गई । इसके बाद 19.9.16 व 28.9.16 को उप खण्ड अधिकारी दौरे पर व अन्य कार्य में व्यस्त रहने से दिनांक 29.9.16 की पेशी दी गई ओर दिनांक 29.9.16 को ही अपीलों में निर्णय पारित कर दिया गया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने नामांतरकरण संख्या 100 के विरूद्ध मात्र 17 खसरा नम्बर की भूमियों के संबंध मे ही उप खण्ड अधिकारी के समक्ष अपील की थी एवं नामांतरकरण संख्या 104 की अपील में भी उक्त भूमियों को सम्मिलित किया गया है । उप खण्ड अधिकारी के निर्णय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड करने पर तहसीलदार ने 17 किता भूमि का दिनांक 28.3.17 को आदेश पारित कर दिया जबकि उप खण्ड अधिकारी ने सम्पूर्ण नामांतरकरण संख्या 100 व 104 को निरस्त किया था । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण स्वीकृत होने के पश्चात विवादित भूमियों का विक्रय , हक त्याग एवं अदला बदली हुई है व इनके आधार पर दिनांक 30.8.16 से पूर्व ही अन्य नामांतरकरण स्वीकृत हुये हैं जिनकी कोई अपील नहीं की गई । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 की नकले प्राप्त कर सहायक कलक्टर प्रथम सीकर के न्यायालय में दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है । उक्त दावे में दिनांक 23.2.16 से पूर्व नामांतरकरण की जानकारी की बात कही है व पुलिस में भी कार्यवाही की बात कही है, लेकिन उप खण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी दिनांक 29..8.16 से 15 दिवस पूर्व अर्थात 13–14.8.16 को होना कहा है , जो विरोधाभाषी है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने मियाद के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना गुणावगुण पर निर्णय करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित भूमि पर क्रेताओं का कब्जा काश्त है जिन्हें अपील में पक्षकार बनाये बिना व क्रेताओं को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । यह निर्विवाद है कि नामांतरकरण की अपील के पूर्व ही नियमित दावा प्रस्तुत कर दिया हो तो नामांतरकरण की अपील नहीं चल सकती थी । यही नहीं दावे में स्थगन आदेश भी था , जिन्हें छिपाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं , जो विधि विरूद्ध होने से निरस्नीय है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा तथ्यों की जॉच किये बिना व भागीरथ तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 से साजिश कर अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं , जो विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः चारों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 100 व 104 पर ग्रम पंचायत की आज्ञा कायम रखी जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 सीता व गीता के पिता सुरजाराम कुम्हार की खातेदारी में थी । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता सुरजाराम का देहान्त होने पर उसकी विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा हनुमान सहाय, रामेश्वर, भागीरथ व बजरंग पि. सुरजाराम , सीता व गीता पुत्रियां सुरजाराम के नाम भरे गये थे , लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा मृतक की पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 सीता व गीता का नाम हटाते हुये केवल मृतक सुरजाराम के पुत्रों के नाम नामांतरकरण तस्दीक किये हैं । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स ने ग्रम पंचायत से साज कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 का झूंठा शपथ पत्र फर्जी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करते हुये नामांतरकरण अपने हक में तस्दीक करवा लिये । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कभी भी पंचायत में उपस्थित होकर तथा अपने हस्ताक्षर कर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तथा पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कोई उल्लेख नहीं है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण बिना वारिसान की एवं कब्जे काश्त की जॉच किये बिना तस्दीक किये गये हैं जिनकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को किसान कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकलें लेने पर हुई ओर जानकारी से अन्दर मियाद अपीलें मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने प्रकरण के न्यायिक तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये

अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.9.16 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 100 व 104 दिनांक 21.4.97 निरस्त गये एवं सुरजाराम के विधिक वारिसों की जॅाच कर अपीलान्ट्स के नाम पुनः नामांतरकरण भरवाकर तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया गया जिसकी अनुपालना में तहसीलदार दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2017 पारित कर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 निरस्त कर मृतक सुरजाराम के विधिक वारिसान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 7 के नाम पुनः पैतृिक हक हिस्से अनुसार नामांतरकरण दर्ज कर नियमानुसार फैसल कराने के आदेश पटवारी हल्का को दिये हैं । उनका कहना था कि इस अपील की रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मृतक सुरजाराम की जायन्दा पुत्रियॅा होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः चारों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार सुरजाराम की विरासत का है । मृतक खातेदार सुरजाराम की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.4.97 को सुरजाराम की पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 सीता व गीता को छोडते हुये केवल पुत्रों के नाम तस्दीक किये हैं ।

विवादित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड पत्र भागीरथ , रामेश्वर व बजरंग पुत्रान सुरजा राम द्वारा मनोज कुमार व श्रीमती रूकमा देवी को दिनांक 30.4.2014 को किया गया है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 सीता व गीता पुत्रियॅा सुरजाराम द्वारा प्रश्नगत नामांतकरणों के खिलाफ प्रस्तुत अपीलों को अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.9.16 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये हैं तथा सुरजाराम के विधिक वारिसों की जॅाच कर अपीलान्ट्स के नाम पुनः नामांतरकरण भरकर तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किये गये हैं, जिनकी अनुपालना में तहसीलदार दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.17 पारित कर मृतक सुरजाराम के विधिक वारिसान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 7 के नाम पुनः पैतृिक हक हिस्से अनुसार नामांतरकरण दर्ज कर फैसल कराने के आदेश पटवारी हल्का को दिये हैं । विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 सीता व गीता पुत्रियॅा सुरजाराम द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम सीकर के समक्ष विचाराधीन होना एवं दिनांक 17.8.16 को अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 13.9.16 तक वादग्रस्त आराजीयात का बेचान व अन्तरण नहीं करने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक सुरजाराम की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 पुत्रियों को छोडते हुये केवल पुत्रों के नाम तस्दीक किये हैं , जो विधिसम्यक नहीं होने से उनके खिलाफ गीता व सीता पुत्रियॅा सुरजाराम की अपीले न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने निर्णय दिनांक 29.9.2016 द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 निरस्त कर सुरजाराम के विधिक वारिसों की जॅाच कर अपीलान्ट्स के नाम पुनः नामांतरकरण भरवाकर तस्दीक किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया है ,

जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा इस निर्णय के खिलाफ अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 100 के संबंध में तहसीलदार दांतारामगढ ने प्रकरण संख्या 15/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.3.2017 के पृष्ठ संख्या 3 पर ग्राम पलसाना की कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 4290, 4291 हि. 1/5, खसरा नम्बर 4292 सम्पूर्ण,, खसरा नम्बर 787, 788, 802, 803, 3869 में से हिस्सा 1/5 खसरा नम्बर 3859, 3868, 3870, 3876, 3877, 3878, 3879, 3891 में से 1/4 कुल 16 एवं 104 के संबंध में प्रकरण संख्या 16/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.3.2017 के पृष्ठ संख्या 3 पर ग्राम पलसाना की कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 4290, 4291, 4293 हि. 1/5, खसरा नम्बर 4292 सम्पूर्ण,, खसरा नम्बर 787, 788, 802, 803, 3869 में से हिस्सा 1/5 खसरा नम्बर 3859, 3868, 3870, 3876, 3877, 3878, 3879, 3891 में से 1/4 कुल 17 अंकित किये हुये हैं जबकि ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 100 में ग्राम पलसाना स्थित भूमि खाता संख्या 892 के खसरा नम्बर 4292 रकबा 3.25, खाता संख्या 39 के खसरा कुल किता 8 रकबा 12.52 एवं खाता संख्या 40 के खसरा कुल किता 8 रकबा 2.57 अंकित है एवं नामांतरकरण संख्या 104 में ग्राम पलसाना स्थित भूमि खाता संख्या 176 के कुल खसरा किता 31 रकबा 13.89 अंकित है । तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2017 एवं प्रश्नगत नामांतरकरणों के अवलोकन मात्र से प्रतीत होता है इनमें अंकित खसरा नम्बरान में विरोधाभास है । तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत दोनों नामांतरकरणों के दोनों अपीलाधीन निर्णयों में विवादित भूमि के एक ही खसरा नम्बर अंकित किये हैं तथा रकबे का अंकन भी नहीं किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । तहसीलदार ने अपीलाधीन निर्णय उनके समक्ष अपीलान्ट गीता व सीता के अधिवक्ता की बहस सुनकर एकपक्षिय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत तहसीलदार दांतारामगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2017 त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों ने विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 29.9.2016 के परिपेक्ष्य में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तहसीलदार दांतारामगढ को पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है । परिणामस्वरूप नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 के संबंध में पारित उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 29.9.2016 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 23/2017 एवं 24/2017 खारिज जाती है तथा तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 28.3.2017 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 22/2017 एवं 25/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 100 एवं 104 के संबंध में पारित तहसीलदार दांतारामगढ के आदेश दिनांक 28.3.2017 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 29.9.2016 के परिपेक्ष्य में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किये जाते है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर